



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 06, मंगलवार, शाके 1943-सितम्बर 28, 2021
Asvina 06, Tuesday, Saka 1943- September 28, 2021

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 27, 2021

संख्या प.2(38)विधि/2/2020.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 12)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हुई)

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 89 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 89 की उप-धारा (2) में,-

(क) खण्ड (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ग्राम सेवक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ग्राम विकास अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान खण्ड (ii) हटाया जायेगा।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, September 27, 2021

No. F. 2(38)Vidhi/2/2020.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Panchayati Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (2021 Ka Adhiniyam Sankhyank 12):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ACT, 2021
(Act No. 12 of 2021)**

(Received the assent of the Governor on the 25th day of September, 2021)

An

Act

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 89, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In sub-section (2) of section 89 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994),-

- (a) in clause (i), for the existing expression “village level workers”, the expression “Gram Vikas Adhikari” shall be substituted; and
- (b) the existing clause (ii) shall be deleted.

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।